राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

धीतर / हरिनारायण

तारीख हुक्म	546/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 225	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/12/20	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन हेतु प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया | प्रकरण की इस स्टेज पर उभयपक्षों द्वारा की गयी बहस के परिपेक्ष में आदेश जैर अपील दिनांक 08/12/2020 का अवलोकन किया, जिसमे सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को विवादग्रस्त भूमि की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के अन्तरिम आदेश प्रदान कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 16/01/2020 नियत कर दी गयी, जिसके विरुद्द अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है जबकी अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है | अत: ऐसेमे अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के बजाय अन्तरिम आदेश जैर अपील को इस अपील के माध्यम से जो चुनौती दी गयी है, वह न्यायसंगत एवं विधिअनुरूप प्रतीत नही होता है | एवं चूँकी इस न्यायालय के समक्ष अब दोनों पक्ष उपस्थित आ गये है | अत: अन्तरिम आदेश जैर अपील में कोई हस्तक्षेप किये बगैर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष नियत आगामी पेशी दिनांक 16/01/2021 को उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निस्तारण करे | तदनुसार अपील निर्णित की जाती है | उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/01/2021 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो | आदेश आज दिनांक 28/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	